न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 189/2012

1 भागीरथ पुत्र कालू।
2 रामचन्द्र पुत्र कालू।
3 रामेश्वर पुत्र कालू।
4 श्रवणी देवी पत्नी कालू।
5 राजू पुत्र सोनाराम।
6 शीशराम पुत्र सोनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण घसीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रिछपाल पुत्र कानाराम।
2 भगवान सहाय पुत्र कालू समस्त जाति घसीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2010
उनवानी प्रकरण रिछपाल बनाम भागीरथ दावा संख्या
142/2010 सहायक कलेक्टर खण्डेला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2010 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 6 लगायत 11 किता 6 कुल रकबा 2.02 हैक्टयर तन ग्राम डहर कांवट तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के बुर्जुग नन्दा ने वादी के दादा को विवादग्रस्त भूमि में से 0.42 हैक्टयर का बेचान लगभग 62 वर्ष पूर्व कर दिया गया तथा लिखावट बही में लिख दी तब से वादी उक्त भूमि पर काबिजा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी शुरू से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम रही है। इस कारण भूमि खसरा नम्बर 6 लगायत 11 रकबा 2.02 हैक्टेयर तन ग्राम डहर कांवट तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 5/24 हिस्सा हजफ किया जाकर वादी के नाम दर्ज किया जावें। उक्त दावे की गलत रूप से तामील करवायी जाकर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 23.08.2010 को दावा डिक्री कर दिया गया इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट के नोटिस सम्यक रूप से तामील नहीं करवाये गये है। वादी द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि कर काबिज होने के सम्बन्ध में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बही की लिखावट प्रस्तुत की है। जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के बुर्जुग नन्दा ने वादी के दादा को विवादग्रस्त भूमि में से 0.42 हैक्टेयर का बेचान लगभग 62 वर्ष पूर्व किया जाना अंकित किया है। वादी अपने दादा, पिता के समय से काबिज होना अंकित किया है। वादी द्वारा वाद पत्र में अपनी उम्र 48 वर्ष अंकित की है। वादी का दादा को मृत हुये 60 वर्ष से भी अधीक समय हो चुका है। इस कारण उक्त तथ्य पूर्णतया गलत होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि वादी के दादा द्वारा क्रय किया जाना बताया जाकर उसी के आधार पर काबिज होना अंकित किया है प्रतिवादीगण का भाई छोटूराम पुत्र कालूराम को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। तथा उसका हिस्सा बैंक में रहन होने के कारण उसके हिस्से को उक्त डिक्री में शामिल नहीं किया गया। वादी के दादा द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय किये जाने की स्थिति में तथा 62 वर्षों से कब्जा होने पर छोटूराम के हिस्से पर भी काबिज होना चाहिये था। परन्तु वादी द्वारा जानबूझकर छोटूराम को पक्षकार नहीं बनाकर उक्त दावा डिक्री करवाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौके की रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 18.06.2010 को दी गयी तथा इसके पश्चात नायब तहसीलदार खण्डेला द्वारा दिनांक 11.07.2010 को तैयार कर भिजवायी गयी । नायब तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर पर काश्त मौके पर उपस्थित मौतविरान द्वारा वादी की होना बताया गया अंकित किया है। नायब तहसीलदार जांच किये जाने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 को सूचना तक नहीं दी गयी व मनमाने आधार पर गलत रूप से वादी से मिलकर गलत व्यक्तियों के हस्ताक्षर कर उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से पूर्व दिनांक 18.06.2010 को उक्त भूमि पड़त पड़ी होना अंकित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी होने के बावजूद उक्त दावा डिक्री कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार के हक, हिस्से को हजफ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किये जाने से पूर्व सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई है। प्रतिवादीगण को उक्त खसरा नम्बर की जमाबन्दी दिनांक 16.07.2012 को लिये जाने पर उक्त खाते में अपीलांट का नाम हजफ किये जाने की जानकारी हुई। अतः जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.06.2010 को प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई है। दिनांक 07.06.2010 को प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए है। बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.06.2010 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में वादी की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद कथन को साबित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा विलम्ब का समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.06.2010 को प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई है। दिनांक 07.06.2010 को प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए है। बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.06.2010 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील चस्पादंगी से होना दर्शाया गया है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 20 की पालना में प्रतिवादीगण की तामील चस्पादंगी से करवाने का कोई आदेश आदेशिका पर अंकित नहीं किया गया है। बिना न्यायालय के सक्षम आदेश के तामील कुनिंदा द्वारा चस्पादंगी से करवाई गई तामील सम्यक नहीं मानी जा सकती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना कर सम्यक तामील के उपरांत पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोट में वादी के बताये गये कब्जे को आधार बनाकर, एवं प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति को आधार बनाकर वाद वादी डिक्री किया गया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रणवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर